संख्या -15011/36/2022- जे यू एस (एयू)/6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: कैबिनेट के लिए फरवरी 2023 माह के मासिक सार से संबंधित।

न्याय विभाग से संबंधित फरवरी 2023 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

1. बजट उपरांत वेबीनार:

(क) केंद्रीय बजट (2023-24) भाषण (पैरा 70) में यह उल्लेख है कि "न्याय के कुशल प्रशासन के लिए, ईकोर्ट परियोजना के फेज-III को ₹7000 करोड़ के परिव्यय से लॉन्च किया जाएगा"

'बजट के बाद एक वेबीनार'"संभावनाओं को खोलने (बजट की प्राथमिकताएं-दिशानिर्देश 'सप्तऋषि')-प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जीवन की सुगमता"विषय पर मंगलवार दिनांक 28 फरवरी, 2023 को आयोजित की गई थी जिसका नेतृत्व डीपीआईआईटी के सहायक नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। वेबीनार के दौरान ई-कोर्ट पर एक विशेष ब्रेकआउट सत्र आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक "ईज ऑफ एक्सेसिंग जस्टिस- ई-कोर्ट" था। इस वेबीनार में पैनल में शामिल विशेषज्ञों और प्रख्यात वक्ताओं सहित 353 हितधारकों ने भाग लिया । केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक इस समारोह के मुख्य वक्ता थे। इसमें विभिन्न डोमेन के पैनल में शामिल 5 वक्ताओं ने ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-III से संबंधित विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए । हितधारकों के सुझावों को शामिल करने के बाद कार्यान्वयन के लिए समग्र कार्य योजना तैयार की गई।

(ख) केंद्रीय बजट (2023-24) (पैरा 42) में यह उल्लेख है कि "ऐसे गरीब व्यक्ति जो जेलों में है और जुर्माने की राशि तथा जमानत राशि का वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।"

बजट के उपरांत एक वेबीनार "अंतिम छोर तक पहुंच (बजट की प्राथमिकताएं-दिशानिर्देश 'सप्तऋषि')"विषय पर सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी जिसका नेतृत्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सह नेतृत्व के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया । इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। वेबीनार के दौरान "गरीब कैदियों के लिए सहायता" विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र आयोजित किया गया जिसका नेतृत्व न्याय विभाग और गृह मंत्रालय के सह नेतृत्व के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया । इस ब्रेकआउट सत्र में 5 उप विषय थे जिन पर "गरीब कैदियों की सहायता करने के लिए परीक्षण समीक्षा समिति की भूमिका" और "गरीब कैदियों के संबंध में जमानत/रिहाई के

लिए जुर्माने और जमानत की प्रासंगिकता" नामक दो उप विषयों का समर्थन गृह मंत्रालय द्वारा और एक उप विषय का समर्थन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया था। उप विषयों के लिए विशेषज्ञ वक्ताओं की पहचान की गई थी और हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इस ब्रेकआउट सत्र में 1197 हितधारकों ने भाग लिया। हितधारकों के सुझावों के आधार पर समय सीमाओं के साथ कार्य योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (नेतृत्व) तथा गृह मंत्रालय (उप नेतृत्व) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई ।

2. ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना फेस-II

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडः वादीगण 2 फरवरी, 2023 तक के नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) से संबंधित कंप्यूटरीकृत न्यायालयों से जुड़े 22.09 करोड़ से अधिक मामलों और 20.43 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामलों की स्थिति रिपोर्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3 न्याय बंधु कार्यक्रम (प्रो-बोनो लीगल सेवाएं):

(क) माह के दौरान, न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 137 नए प्रो-बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत किया गया । न्याय बंधु पोर्टल पर कुल 5954 अधिवक्ता (पुरुष-5053, महिला-899, और ट्रांसजेंडर-02) पंजीकृत हुए हैं।

(ख) माह के दौरान, उच्च न्यायालयों में 33 नए अधिवक्ता पंजीकृत हुए जिससे अब तक 25 उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो अधिवक्ताओं की कुल संख्या 1247 हो गई।

4. पैन इंडिया लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस कार्यक्रमः

(क) अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पर कार्यान्वयन एजेंसियों की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक न्याय विभाग द्वारा दिनांक 18/02/2023 से दिनांक 19/02/2023 तक ईटानगर,अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। इनकी जमीनी स्तर पर मौजूदगी की संभावनाओं के संबंध में दस कार्यान्वयन एजेंसियों के परियोजना कार्यों की समीक्षा की गई, आवश्यकता आधारित सुझाव दिए गए और टेली लॉ राज्य समन्वयकों के साथ विवेचना की गई। इस वार्षिक समीक्षा बैठक में कार्यान्वयन एजेंसियों और टेली लॉ राज्य समन्वयकों के प्रतिनिधियों सहित 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(ख) सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी (सीईसीओईडीईसीओएन), जयपुर, राजस्थान ने राजस्थान के करौली जिले में 10 पंचायत स्तरीय सेन्सीटाइजेशन बैठकें; 10 धानी बैठकें; और 3 सामूहिक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

(ग) 2 फरवरी 2023 को ब्राइटर अकैडमी, न्यू चेकों इंफाल वेस्ट में और 5 फरवरी 2023 को समुरू इम्फाल वेस्ट स्थित लिटिल मास्टर इंग्लिश हायर मैं माध्यमिक के छात्रों के लिए बाल यौन उत्पीड़न के

खिलाफ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मणिपुर द्वारा प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किए गए थे। सिविल सोसाइटी संगठनों से महिला प्रतिभागियों के लिए एक अन्य कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम दिनांक 3 फरवरी 2023 को कुकी कम्युनिटी हॉल, फैपीजांग, लंगोल, इंफाल वेस्ट में आयोजित किया गया था।

(घ) अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 25 फरवरी, 2023 को सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल, खोंसा, जिला तिराप में "परंपरागत ग्राम परिषद प्रणाली और भारत के औपचारिक कानूनों की दस्तूरी पद्धतियों के बीच तालमेल "परियोजना के तहत गांव बुराह के लिए एक कानूनी साक्षरता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया ।

5. **राष्ट्रीय लोक अदालत:**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित दिनांक 11 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में 175 लाख से अधिक पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों और 30 लाख लंबित मामलों का निपटान किया गया था ।

xxxxxxx